

अंचल अधिकारी का कार्यालय

अभिलेख मात संख्या-

मात का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के आपांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निवेशक, भू-अर्जन-साह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०निति-119/86/2308/रा०, दिनांक-03.09.1986 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1986 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मोजा- (3/1) धाना- खाता संख्या-2 प्लॉट संख्या- 215/5
एकबा- 2.00 एकड़ की भूमि जो गैरमरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाले की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मोजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या- के पृष्ठ संख्या- 52/11 पर जमाबंदी रैयत के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को संविन्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सुजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनकी कारण-पूछा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 7/09/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

संविध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संविध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- मंदीप यादव, 310 एकेसर
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :- साठ-कुमरी

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>कुमरी</u>	<u>402</u>	<u>2</u>	<u>215/5</u>	<u>2.00</u>
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या..... पृष्ठ सं०-52/II पर कायम है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 2002-03
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- जैरमलका मालिक
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- कॉन्सिडर
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- जैरमल
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती - बन्दोबस्ती डेकन 23/2002-03)
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1			

2013
23/10/015
कॉन्सिडर
जैरमल
मालिक

122

अभिनेतृ प्रत्याशित। यह मामला वर्ष 2016 के संबंधित है, मजदूरी प्रत्यक्ष मजदूरी की श्रेणी में निर्दिष्ट किया गया है कि इन विस्तार और प्रत्यक्ष कार्य में लपटसार सभी आकस्मिक प्रत्यक्षिक को कोटेशन दिया जाता है कि आपके हाथ के संबंधित संबंधित आगामी के संबंध में विस्तार और प्रत्यक्ष निर्दिष्ट स्थापित हो कि मामला संदर्भित आगामी का वक्त है कथन नहीं।

अध्यापक/अभिनेता
विशाल कुमार
10/03/2022

21.03.2022

अभिनेतृ प्रत्याशित। यह सं 11 के आकस्मिक प्रत्यक्षिक के आर और प्रत्यक्ष निर्दिष्ट दिया गया है जो साथ में संलग्न है इनके आर प्रत्यक्षित किया गया है कि वादगत आदि के संबंधित आगामी नद इन्हें का मामला प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष के विविध वाद सं 13/2021-22 संदर्भित प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मजदूरी को के नद के मामला प्रत्यक्ष है जिस संबंध में इस प्रत्यक्ष आर और प्रत्यक्ष निर्दिष्ट किया गया है जब मामला प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में संबंधित है तो इस स्तर के इस वाद की कार्य प्रत्यक्ष की जा सकती है।

आर आकस्मिक प्रत्यक्षिक के और प्रत्यक्षिक के प्रत्यक्ष है कि मामला प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में संबंधित है इस स्तर के इस वाद की कार्य प्रत्यक्ष की जाती है।
लेखापति एवं लेखापति

अध्यापक/अभिनेता
महादू प्रत्यक्ष।

अध्यापक/अभिनेता
विशाल कुमार
महादू प्रत्यक्ष।

सेवा में,

श्रीमान् ईचल अधिकारी
मन्सूर, पलामू

विषय :- अवैध जमाबंदी अभिलेख संख्या: 57/16-17 से
अभिलेख सं० 64/16-17 का ऑन प्रीवेन्ट।

महोदय,

आदेशानुसार उपरोक्त अवैध जमाबंदी से संबंधित
मामलों का ऑन किया। उपरोक्त सभी मामलों से संबंधित
विविध-वाद सं० :- 13/2021-22 न्यायालय द्वारा उपर्युक्त पलामू
की यहाँ मामला चल रहा है। उक्त विविध-वाद में ईचल
द्वारा से ऑन प्रीवेन्ट भी भेजा गया है।

अतः अब वरीय न्यायालय में यही मामला चल
रहा है तो ईचल द्वारा पर इस वाद की सुनवाई समाप्त
की जा सकती है।

प्रतिवेदन अग्रोत्तर कारवाई हेतु सादर स्मार्पित।

Shunad
15/03/2022
अग्रोत्तर
दस्तावेज